शुद्धि-पत्र

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के पृष्ठ सं. 169 के पैरा 29.1 और पृष्ठ सं. 227 के पैरा 26 को निम्नानुसार पढ़ा जाए

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार चुकता पूंजी में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की धारिता 99.60% : 0.40% रही. विवरण निम्नानुसार है.

(रु. करोड़)

अंशदाता	31 मार्च 2018		31 मार्च 2017	
भारतीय रिज़र्व बैंक	20.00	0.40%	20.00	0.40%
भारत सरकार	4,980.00	99.60%	4,980.00	99.60%
जोड़	**5,000.00**	**100.00%**	**5,000.00**	**100.00%**

वर्ष के दौरान भारत सरकार से अंश पूंजी के लिए रु. 3880 करोड़ (रु. 1400 करोड़) की राशि प्राप्त हुई जिसे प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लंबित रहने तक पूंजी खाते में अग्रिम के रूप में रखा गया है. 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार अंश पूंजी के लिए अग्रिम रु. 5580 करोड़ था. 10 अप्रैल 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. 1410 के माध्यम से नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी को रु. 30,000 करोड़ कर दिए जाने के बाद उक्त अग्रिम वर्ष 2018-19 के दौरान अंश पूंजी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा.

(एस द्विवेदी)
मुख्य महाप्रबंधक और सचिव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
मुम्बई